सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाई गई नियमावली के अनुरूप कंपनी की अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति है। 22 जनवरी 2021 से प्रभावी सीएसआर संशोधन नियम जारी होने के परिणामस्वरूप, आरईसी सीएसआर नीति में संशोधन किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। कंपनी सुनिश्चित करती है कि सीएसआर परियोजनाओं को उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप पूरा किया जाए।

सीएसआर परियोजनाएं:

वर्ष के दौरान, ₹307.17 करोड़ की कुल सहायता से 40 सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और सीएसआर परियोजनाओं पर ₹171.07 करोड़ खर्च किया गया। इस सहायता को मुख्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं के लिए निर्देशित किया गया है:

i विभिन्न सरकारी अस्पतालों का उन्नयन, चिकित्सा उपस्करों की खरीद और उन्हें चालू करना, दिव्यांगों को सहायता और सहायक उपस्करों का वितरण, ब्लड बैंकों का उन्नयन, सीवेज उपचार संयंत्र और जल उपचार संयंत्र का निर्माण, कैंसर जांच और कैंसर देखभाल सेवाओं का शीघ्र पता लगाने के लिए और इलाज, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

कंपनी यथासंभव संकेंद्रित तरीके से क्रियाकलापों की एक श्रृंखला शुरू करके समुदायिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती है। सीएसआर परियोजनाओं का चयन समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों में किया जाता है, जिसमें समाज के चुने हुए/केन्द्रित क्षेत्रों के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('सीएसआर समिति') का गठन किया जाएगा जिसमें तीन अथवा उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें कम से कम एक निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक होगा। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ–साथ, अनुसूची VII में निर्धारित क्षेत्रों अथवा विषयों में कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, निगमित उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना और किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना, निदेशक बोर्ड की रिपोर्टें आवधिक रूप से प्रस्तुत करना शामिल है।

आरईसी लिमिटेड एक पंजीकृत सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से अपने सीएसआर क्रियाकलाप करता है। यह फाउंडेशन शासी निकाय द्वारा शासित होता है जिसमें आरईसी लिमिटेड के अधिकारियों को नामित किया जाता है।

ii कोविड महामारी के प्रसार के दौरान सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों के लिए भोजन उपलब्ध कराना, कोविड–19 वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराना।

iii 5 स्थानों, अर्थात् बारां, पुणे, चंबा, पिथौरागढ़ और चतरा में 4300 एलपीएम प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना और चालू करना।

iv उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्यों में 2014–2015 के स्कूलों में *स्वच्छ विद्यालय अभियान* के तहत निर्मित 12,347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत करना।

v विभिन्न स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा उपस्कर/वस्तुएं प्रदान करना, कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में अपग्रेड करना, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मोबाइल स्कूल बस के माध्यम से नवीन शिक्षा प्रदान करना, युवाओं में अनुसंधान और योग्यता पैदा करना, कमजोर बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उनका पालन–पोषण करना, शिक्षा, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान कर कमजोर बच्चों का पालन–पोषण करना, युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें कौशलों की वृद्धि करना आदि।

vi सिलाई, ब्यूटीशियन, बुजुर्गों की देखाभाल के लिए वेलनेस सुविधा के साथ आश्रम गृह का निर्माण, मासिक धर्म स्वच्छता नेतृत्व, जीवन कौशल लिंग और अधिकार के मुद्दों के बारे में किशोर/युवा लड़कियों को शिक्षित करने पर प्रशिक्षण प्रदान करके किशोर गृहिणी महिलाओं के कौशल को बढ़ाना, स्वयंरक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परामर्श आदि प्रदान करना।

vii विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में रूफटॉप/फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पैनलों का निर्माण, एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम आदि को चालू करना आदि।

viii दो विद्युत सह गैस संचालित (हाइब्रिड) श्मशान सुविधाओं की स्थापना। परियोजना का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना है।

ix कोविड–19 के कारण होने वाली महामारी से निपटने के लिए प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत (पीएम केयर्स) फंड में अंशदान।

x राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य/खेल अकादमियों का समर्थन करने के लिए योगदान देना, टीओपीएस एथलीटों का समर्थन करना और ओलंपिक पोडियम योजना (टीओपीएस) को लक्षित करना जो भारत के शीर्ष एथलीटों की सहायता के लिए एमवाईएएस का एक प्रमुख कार्यक्रम है, इस प्रकार उन्हें ओलंपिक में जीतने और कोचों और अन्य सहायक कर्मचारियों के लिए समर्थन करने में सक्षम बनाता है। शुरुआत में बॉक्सिंग, हॉकी और एथलेटिक्स सहित महिला खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

xi सूखा संभावित क्षेत्र में किसानों को खरीफ के मौसम में बीजों का निःशुल्क वितरण, ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड विकास, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के अंतिम उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करके समुदाय को शिक्षित करना, चेक डैम, पुलिया, सामुदायिक हॉल, कुओं को गहरा करना, इनडोर स्टेडियम का निर्माण आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का अवंसरचना विकास।

xii आरईसी संबद्ध क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण में परियोजनाएं चलाती है, प्राथमिक रूप से आकांक्षी जिलों में, अर्थात् ओडिशा में गजपति, मिजोरम में ममित, नागालैंड में किफिरे, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में पश्चिमी सिक्किम में योजनाएं चलाती है।

2. सीएसआर समिति का गठन:

कंपनी अधिनियम 2013, के अनुरूप कंपनी की सीएसआर समिति का गठन किया गया। उसकी संरचना इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	डॉ. मनोज एम. पांडे (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष *(07 दिसंबर, 2021 से)*	3	3
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष *(31 अक्तूबर 2021 तक)*	5	5
3	डॉ. गंभीर सिंह (स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य *(07 दिसंबर, 2021 से)*	3	3
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	8	8
5	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *(07 दिसंबर, 2021 तक)*	5	5

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का विवरण दर्शाने वाला वेब-लिंक:

https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

22 जनवरी 2021 से प्रभावी सीएसआर संशोधन नियमों के अनुसार, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया था, और जो प्रभावी अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरा कर लिया गया है। मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) ने प्रभाव आकलन अध्ययन किया। नीचे दी गई तालिका में परियोजनाओं के नाम, परियोजनाओं के प्रभाव के प्रमुख परिणाम दिए गए हैं।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
1.	राष्ट्रीय संस्कृति कोष (ट्रस्ट)/गुजरात स्टेट वूमेंस सेवा को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड **(एसईडब्ल्यूए)** द्वारा शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने और कारीगरों को सतत आजीविका प्रदान करने के लिए ₹1.50 करोड़	डिजाइन (एसईडब्ल्यूए) केंद्र को पुनर्जीवित और बहाल किया गया है। अनौपचारिक क्षेत्र की महिला कारीगरों ने पारंपरिक आजीविका के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर ली । उत्तरदाताओं का विचार था कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और क्षमता निर्माण अच्छी है। लाभार्थियों को बाजार लिंकेज सहायता प्रदान की गई।
2.	भारतीय सौर ऊर्जा निगम **(एसईसीआई)** द्वारा आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पिछड़े जिलों के खराब विद्युतीकृत क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख सौर लालटेन के वितरण के लिए ₹12.90 करोड़	इस परियोजना ने मिट्टी के तेल के उपयोग को कम करने में मदद की है जिससे इनडोर वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। हाशिए पर रहने वाले उन गांवा/क्षेत्रों के समुदायों जो खराब विद्युतीकृत थे, सौर लालटेन वितरित किए गए। परिवार के सदस्य (विशेषकर महिलाएं) रात के समय बाहर जाना भयरहित और सुरक्षित महसूस करते थे।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
3.	राष्ट्रीय कौशल विकास कोष **(एनएसडीएफ)**/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित बिहार, ओडिशा, झारखंड आदि सहित भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ₹8.70 करोड़	पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद आय सृजन गतिविधियों में 78 प्रतिशत लाभार्थी शामिल थे। सॉफ्ट स्किल सेशन, उद्योग के दौरों और विशेषज्ञ वार्ता ने प्रशिक्षुओं के कौशल को बढ़ाने में मदद की और उन्हें उनके रोजगार के समय में लाभ हुआ।
4.	कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद **(केएससीएसटी)** द्वारा कार्यान्वित कर्नाटक के 10 सरकारी उच्च विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं (वीसीआर) की स्थापना के लिए ₹1.90 करोड़।	वीसीआर सुविधाओं से छात्रों की भागीदारी और अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि हुई है, जिसमें छात्रों का प्रतिधारण भी शामिल है। 10 स्कूलों के 10वीं कक्षा में छात्रों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 2016–17 में 67.8% (पूर्व–हस्तक्षेप) से बढ़कर 2018–19 (पोस्ट–इंटरवेंशन) में 77% हो गया है। शिक्षकों ने वीसीआर सुविधा का लाभ उठाया क्योंकि यह उन्हें पढ़ाने में सहायता करती है।
5.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली (आईआईएम, त्रिची) द्वारा कार्यान्वित आईआईएम तिरुचिरापल्ली के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट एसपीवी प्रणाली की संस्थापना के लिए ₹15.1 करोड़	बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईआईएम–त्रिची स्थायी परिसर में 2 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की शुरुआत की। सौर पीवी चलाने के पहले 6 महीनों के लिए ग्रीनहाउस गैस स्तर/क्लोरोफ्लोरो कार्बन स्तर में अनुमानित कमी लगभग 1214.85 टन CO_2 होने का अनुमान है। नियमित निरीक्षण और रखरखाव ने पैनलों की दीर्घकालिक उपयोगिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित की।
6.	आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति समुदायों और प्राथमिक विद्यालयों के लिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास सोसायटी **(एसआईडीयूआर)** द्वारा कार्यान्वित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सेवाओं के लिए पानी, सफाई और स्वच्छता के लिए ₹4.2 करोड़।	चार जिलों के 1,250 एचएच/प्राथमिक स्कूलों में पानी का कनेक्शन पूरा किया। चार जिलों के 1,750 एचएच/प्राथमिक स्कूलों में शौचालयों का निर्माण जल जनित रोगों और संबंधित व्यय के प्रसार को कम करना। व्यवहार में बदलाव के परिणामस्वरूप शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव भी हुआ। समुदाय के सदस्यों द्वारा पाइप से पानी के कनेक्शन और शौचालयों का अच्छी तरह से रखरखाव किया गया था।
7.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम **(एनएससीएफडीसी)** द्वारा कार्यान्वित भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति के 1,650 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) के लिए ₹3.9 करोड़	5 कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित लाभार्थियों में से प्लेसमेंट दर 92% थी। वर्तमान में 74 प्रतिशत उत्तरदाता आय सृजन गतिविधियों में शामिल हैं। परियोजना लाभार्थियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव पैदा करने में सक्षम रही है।
8.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण **(जीडीए)** द्वारा कार्यान्वित हिंडन नदी क्षेत्रों, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना के लिए ₹1.20 करोड़।	लकड़ी आधारित श्मशान घाट वनों की कटाई की ओर जाता है– ऐसे पेड़ जो अन्यथा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेते हैं और उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने और ग्लोबल वार्मिंग में जोड़ने से रोकते हैं। विद्युत शवदाह गृह में करीब 600 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है।
9.	सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र (बेयरफुट कॉलेज) द्वारा कार्यान्वित बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया **(एसडब्ल्यूआरसी)**, राजस्थान के परिसर में विभिन्न स्थानों पर गैर–कार्यात्मक पुरानी संरचना के प्रतिस्थापन और 135 किलोवाट ऑफ ग्रिड सौर संयंत्र (बैटरी के साथ) स्थापित करने के लिए ₹1.40 करोड़।	परिसर में विभिन्न स्थानों पर 135 केडब्ल्यूपी ऑफ–ग्रिड सौर संयंत्र (बैटरी के साथ) चालू किया गया। सौर पैनल हर साल 444 टन कार्बन डाई–ऑक्साइड और 319 टन सल्फर डाई–ऑक्साइड और 2.1 टन नाइट्रस ऑक्साइड (ग्रीनहाउस गैस) को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों और मशीनों को चलाने के लिए सौर पैनल उपलब्ध हैं।
10.	30 सरकारी आवासीय विद्यालयों में 900 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट की स्थापना के लिए ₹12.9 करोड़; 30 परिसरों में मौजूदा रैबिट एसीएसआर कंडक्टर को इन्सुलेट करना। मौजूदा खुले रैबिट कंडक्टर परिसरों में गर्मी सिकुड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से पॉलीओलेफिन इन्सुलेशन प्रदान करना; कर्नाटक रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी **(केआरईआईएस)** द्वारा कार्यान्वित 10 आवासीय विद्यालयों में ई–लर्निंग सेंटर (वर्चुअल क्लासरूम) की संस्थापना।	सौर पैनल ने स्थायी, विश्वसनीय और निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने में मदद की। रैबिट कंडक्टर की स्थापना ने परिसर में दुर्घटना मुक्त वातावरण बनाने में मदद की जिससे छात्रावास के छात्रों के लिए खतरा कम हो गया। वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना ने डिजिटल सामग्री, इंटरनेट, कंप्यूटर और पूरक वीडियो सम्मेलनों के उपयोग से उन्नत शिक्षण वातावरण प्रदान किया है।

क्रम सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे	परियोजना के प्रभावों के प्रमुख परिणाम
11.	महिला आश्रम मुवानी, पिथौरागढ़ **(एमएएम)** द्वारा कार्यान्वित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 1,300 महिलाओं और युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए ₹1.40 करोड़	पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, 92% उम्मीदवार आय सृजन गतिविधियों में शामिल थे। परियोजना लाभार्थियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालने में सक्षम रही है।
12.	बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान **(बीएसजीएसएस-I)** द्वारा गुरदासपुर, पंजाब और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 880 महिलाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए ₹1.20 करोड़	कुल उम्मीदवारों में से 75% को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार मिला। ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनिंग में लड़कियों ने अपनी ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं शुरू कीं और प्रति माह औसतन ₹1000 कमाए। इस परियोजना से महिला सशक्तिकरण हुआ है और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के बीच आय में वृद्धि हुई है।
13.	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान **(सीआईपीईटी)** द्वारा कार्यान्वित, भारत भर के लगभग 20 जिलों में ईडब्ल्यूएस से संबंधित 1,000 युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) के लिए ₹5.80 करोड़।	कुल उत्तरदाताओं का 84% आय सृजन गतिविधियों (मजदूरी/स्वरोजगार के माध्यम से) में शामिल हैं।
14.	पर्यावरण केयर सोसाइटी **(पीएससी)** द्वारा कार्यान्वित, बिहार के बगहा में बैराती मंदिर परिसर में 100 हैंडपंपों की स्थापना और तालाब की खुदाई के लिए ₹1.0 करोड़	इस परियोजना ने दैनिक घरेलू जरूरतों के लिए स्रोत जल तक की औसत दूरी को कम करने में मदद की है। जल जनित रोगों के प्रसार में कमी आई है। इस परियोजना की परिणति स्थापित हैंडपंपों से पानी के स्रोत की आसान पहुंच की उपलब्धता में हुई है।
15.	शहीद उधम सिंह पंजाब विश्वविद्यालय **(एसयूएसपीयू)** द्वारा कार्यान्वित शहीद उधम सिंह पंजाब विश्वविद्यालय, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की छत पर 283 केडब्ल्यूपी सौर पीवी प्रणाली की स्थापना के लिए ₹1.60 करोड़	सोलर पीवी सिस्टम प्रतिदिन लगभग 1200 – 1500 यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहा है। अप्रयुक्त बिजली की आपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को की जाती है। कार्बन फुटप्रिंट और गैर–नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता में कमी।
16.	अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर संस्थान **(आईसीआई)** द्वारा कार्यान्वित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) के लिए ₹1.6 करोड़	6 कौशल विकास ट्रेडों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से प्लेसमेंट दर 78% थी। लाभार्थियों ने बताया कि परियोजना के पूरा होने के बाद उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
17.	जिलाधिकारी उधम सिंह नगर **(डीएम, यूएसएन)** द्वारा कार्यान्वित पंडित राम सुमेर शुक्ल स्मृति राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रुद्रपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के अधोसंरचना विकास हेतु ₹18.30 करोड़	नए 300 बिस्तरों वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज ने कोविड–19 के दौरान क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण में सुधार किया है। चिकित्सा परीक्षण और प्रक्रियाओं ने रोगियों का शीघ्र निदान और उपचार किया।
18.	विश्वसिंधु बहुद्देशीय सेवा भावी संस्था **(वीबीएसएस-I)** द्वारा कार्यान्वित महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले 5,000 किसानों को बीज के मुफ्त वितरण के लिए ₹1.9 करोड़	98% लाभार्थी केवल कृषि कार्य में शामिल थे, जिनमें से 26% बीपीएल कार्ड धारक थे। 38% किसानों ने बताया कि नए प्रकार के बीजों की उपलब्धता के कारण उनकी फसल में वृद्धि हुई है। 60% किसानों ने बताया है कि उत्पादकता (उपज) में वृद्धि हुई है औसत वार्षिक आय में 18% की वृद्धि हुई है।
19.	विश्वसिंधु भहुदेशीय सेवा भावी संस्था **(वीबीएसएस-II)** द्वारा कार्यान्वित महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले 10,000 किसानों को बीज के मुफ्त वितरण के लिए ₹4.1 करोड़	99% लाभार्थी केवल कृषि कार्य में शामिल थे, जिनमें से 41% बीपीएल कार्ड धारक थे। 35% किसानों ने बताया कि नए प्रकार के बीजों की उपलब्धता के कारण उनकी फसल में वृद्धि हुई है। औसत वार्षिक आय में 16% की वृद्धि हुई है।
20.	बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान **(बीएसजीएसएस-II)** द्वारा कार्यान्वित कुंभ मेला 2019, प्रयागराज और भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की स्थापना के लिए ₹1.7 करोड़।	एटीएम सभी स्थानों पर 12 घंटे/दिन के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, इस प्रकार आगंतुकों को पीने के पानी की स्वच्छ और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। सभी स्थानों पर 20 ऑपरेटरों को नियोजित किया गया था।
21.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित दीन दयाल उपाध्याय **(डीडीयू)** मार्ग, नई दिल्ली में सार्वजनिक पार्क के विकास और रखरखाव के लिए ₹5.0 करोड़	उपलब्ध सुविधाओं के कारण सभी आयु समूहों से अपील। रोजगार के अवसर पैदा किए। अपराध को कम किया और परिवारों के लिए सुरक्षित सभा स्थल सुनिश्चित किया। समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान। मूल्यवान हरित स्थान बनाया (>हरित आवरण के अंतर्गत 80% क्षेत्र)

विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives पर उपलब्ध है।

नीचे दी गई तालिका 21 परियोजनाओं के लिए विभिन्न मानदंडों अर्थात् (i) समावेशिता (ii) प्रासंगिकता, (iii) प्रभावशीलता, (iv) अभिसरण और (v) संधारणीयता पर रेटिंग प्रदान करती है। प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन उपरोक्त प्रमुख मापदंडों पर किया गया है और इसके बाद उत्पन्न प्रभाव को उच्च/मध्यम/निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

उच्च	यह श्रेणी इस बात पर प्रकाश डालती है कि परियोजना उक्त आईआरईसीएस ढांचे के भीतर प्रभाव के प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने में सक्षम रही है।
मध्यम	यह श्रेणी इस बात पर प्रकाश डालती है कि परियोजना कथित आईआरईसीएस ढांचे के भीतर प्रभाव के प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों को आंशिक रूप से पूरा करने में सक्षम रही है।
कम	यह श्रेणी इस बात पर प्रकाश डालती है कि परियोजना ने अभी तक उक्त आईआरईसीएस ढांचे के भीतर प्रभाव के प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों को पूरा नहीं किया है।

आईआरईसीएस मानदंडों		समावेशिता	प्रासंगिकता	प्रभावकारिता	अभिसरण	संधारणीयता
1	एसईडब्ल्यूए	उच्च	उच्च	मध्यम	कम	कम
2	एसईसीआई	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	कम
3	एनएसडीएफ	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	कम
4	केएससीएसटी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
5	आईआईएम, त्रिची	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
6	एसआईडीयूआर	उच्च	मध्यम	उच्च	मध्यम	उच्च
7	एनएससीएफडीसी	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
8	जीडीए	उच्च	मध्यम	कम	उच्च	मध्यम
9	एसडब्ल्यूआरसी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
10	केआरईआईएस	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
11	एमएएम	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
12	बीएसजीएसएस–I	उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च
13	सीआईपीईटी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
14	पीएससी	उच्च	मध्यम	उच्च	कम	कम
15	एसयूएसपीयू	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम
16	आईसीआई	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
17	डीएम, यूएसएन	उच्च	मध्यम	मध्यम	उच्च	मध्यम
18	वीबीएसएस–I	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
19	वीबीएसएस–II	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
20	बीएसजीएसएस–II	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
21	डीडीयू	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम

5. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित राशि का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)
1	2021-22	3.45	3.45

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: ₹8,533.62 करोड
7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: ₹170.67 करोड़
   (ख) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों अथवा कार्यकालापों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य
   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राशि: ₹3.45 करोड
   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख–7ग): ₹167.22 करोड़
8. क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अथवा खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	खर्च न की गई राशि (₹करोड में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
167.62	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य
ग. वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं को छोड़कर अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: ₹162.15 करोड (अनुबंध क)
घ. प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि: ₹5.24 करोड
ङ. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि: ₹0.23 करोड
च. कुल राशि वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ): ₹167.62 करोड
छ. समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	170.67
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	171.07
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	0.40
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं अथवा पूर्व वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	0.40

9. **(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण:**

क्रम सं.	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ करोड़ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख	
लागू नहीं							

(ख) पूर्व वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वह वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना चालू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
लागू नहीं								

10. **पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण: शून्य**
    क. परिसंपत्ति के निर्माण की तिथि: लागू नहीं
    ख. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि: लागू नहीं
    ग. कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं
    घ. सृजित अथवा अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं
11. **उन कारणों का उल्लेख करें, जिनके कारण यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही:**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अपना सीएसआर बजट पूरी तरह से खर्च किया है।

ह./-
(अजय चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06629871

ह./-
(डॉ. मनोज मनोहर पांडे)
स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएन : 09388430

अनुबंध - क : वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	संस्थान को विकृति सुधार के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में भवन का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	ओडिशा	कटक	4.26	नहीं	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	लागू नहीं
2	भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 8000–9000 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	1.91	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	सीएसआर00000532
3	कुष्ठ मिशन अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और सुसज्जित करके कुष्ठ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु	चंपा, फैजाबाद और वडाथोरसालुर	2.33	नहीं	कुष्ठ मिशन ट्रस्ट इंडिया	सीएसआर00001796
4	रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मैमोरियल अस्पताल (एक सरकारी अस्पताल) का निर्माण और नवीनीकरण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	रीवा	2.63	नहीं	श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा	लागू नहीं
5	ओडिशा के 30 जिलों में सिकल सेल रोगों और थैलेसीमिया के नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम के लिए अंशकालिक वित्तीय पोषण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	ओडिशा	ओडिशा	3.94	नहीं	क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर	लागू नहीं
6	ब्लड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण एवं ब्लड बैंक उपकरणों का उन्नयन	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरम	0.37	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	लागू नहीं
7	ब्रह्मर्षि मिशन समिति के अंतर्गत संचालित विराट धर्मशाला में गंभीर रूप से बीमार कैंसर रोगियों की सहायता के लिए रेडियोथेरेपी यूनिट का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	जबलपुर	0.45	नहीं	ब्रह्मर्षि मिशन समिति	सीएसआर00004300
8	एकीकृत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एवं पुनर्वास केंद्र 'मानव मंदिर' (तीसरी मंजिल)' का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	सोलन	0.21	नहीं	इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हिमाचल प्रदेश	लागू नहीं
9	जिला अस्पताल एवं जन स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण एवं उपकरण उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	सिक्किम	पश्चिमी सिक्किम	0.31	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट,पश्चिमी सिक्किम	लागू नहीं
10	चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर एवं शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर पूर्व निर्मित आवास (क्वार्टर) का निर्माण/विस्तार	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	नागालैंड	किफिरे	1.50	नहीं	उपायुक्त, किफिरे	लागू नहीं
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नवीनीकरण और निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मिजोरम	ममित	3.86	नहीं	उपायुक्त, ममित	लागू नहीं
12	शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोर्टेबल और स्मार्ट मॉडल आंगनवाड़ी के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित समाधान	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	0.05	नहीं	सेल्को फाउंडेशन	लागू नहीं
13	एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मैमोरियल सेंटर, खारगहर, नवी मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	2.95	नहीं	टाटा मैमोरियल सेंटर	लागू नहीं
14	महामारी कोरोना वायरस कोविड–19 के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन के कारण निर्माण/सब स्टेशनों में लगे प्रवासी मजदूरों/परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	(0.40)	नहीं	आरईसी	सीएसआर00005016

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
15	सदर अस्पताल के बहुउद्देशीय हाल एवं इन्क्यूबेशन सेंटर में मरीजों के परिचारक के लिए 100 बेड वाले प्रतीक्षालय का निर्माण और जिला अस्पताल और पीएचसी में 25 इन्क्यूबेटरों की खरीद और संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	1.85	नहीं	डीसी मुजफ्फरपुर/पीएमए_टीसीआईएल	लागू नहीं
16	12 गांवों के लिए आरईसी–जोडॉन मोबाइल हेल्थ क्लीनिक वैन और आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मणिपुर	चुराचंदपुर	0.28	नहीं	उपायुक्त, चुराचांदपुर, मणिपुर	लागू नहीं
17	श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीज के परिचारकों के लिए 200 बेड वाले विश्राम कक्ष (विश्राम सदन) का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	1.00	नहीं	डीसी मुजफ्फरपुर/पीएमए	लागू नहीं
18	50 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का नवीनीकरण और 1125 आंगनवाड़ी केंद्रों में खाद्यान्न भंडारण, एलपीजी गैस कनेक्शन और प्रसवपूर्व देखभाल केंद्रों की स्थापना के लिए कंटेनर उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	0.85	नहीं	डीसी मुजफ्फरपुर/पीएमए	लागू नहीं
19	जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में रक्त घटकों को अलग करने के लिए ब्लड बैंक उपकरण की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	मछलीपट्टनम, कृष्णा	0.30	नहीं	जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम	लागू नहीं
20	देश भर में विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को 3400 सहायता और उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश	बैंगलोर, पटना, रांची, नोएडा और हैदराबाद	0.44	नहीं	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति	सीएसआर00004300
21	कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण (सीसीई) की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	दादरा और नगर हवेली, नागालैंड और पश्चिम बंगाल	दादरा और नगर हवेली, नागालैंड और पश्चिम बंगाल	0.67	हां	आरईसी	सीएसआर00005016
22	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) में ब्लड बैंक उपकरण / वस्तुओं की खरीद, स्थापना और चालू कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	तेलंगाना	वारंगल	0.89	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वारंगल, तेलंगाना	लागू नहीं
23	बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिहार	बिहार के 14 जिले	3.74	नहीं	टाटा मैमोरियल कैंसर अस्पताल	लागू नहीं
24	डिजिटल सबस्ट्रेक्शन एंजियोग्राफी मशीन की खरीद, संस्थापना और चालू कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	राजस्थान	जयपुर	5.22	नहीं	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	लागू नहीं
25	आरईसी सीएसआर सहयोग से निर्मित शासकीय विद्यालयों में 132 शौचालयों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पंजाब	पंजाब	0.40	नहीं	स्कूली शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार	लागू नहीं
26	बेघर बीमार, बेसहारा, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर–(आनंदम का ब्लॉक बी और पार्ट ब्लॉक–सी)140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	राजस्थान	डडीकर, अलवर, राजस्थान	0.26	नहीं	एसएपीएनए/पीएमए	सीएसआर00000235
27	1700 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र (पूर्ण संयोजन) और 150 केवी जनरेटर संयंत्र की संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	महाराष्ट्र	पुणे	2.48	नहीं	पुणे नगर निगम	सीएसआर00004302
28	बेस अस्पताल, पिथौरागढ़, उत्तराखंड में कोविड देखभाल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1000 एलपीएम ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की संस्थापना, 22 ऑक्सीजन सांद्रता और 200 सेमी फाउलर्स बेड की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	1.75	नहीं	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड	सीएसआर00005343
29	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात 300 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रतिदिन पैक लंच की सुविधा प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	दिल्ली	नई दिल्ली	0.21	नहीं	आरईसी	सीएसआर00005016

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
30	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), हंटरगंज, चतरा में पीएसए (प्रेशर स्विंग सोखना) ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन, बेड/आईसीयू उपकरण, रेफरल मामलों के लिए टाइप–डी एम्बुलेंस और मोबाइल रक्तदान वैन की संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	झारखंड	चतरा	0.50	नहीं	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, चतरा, झारखंड	सीएसआर00006142
31	जिला अस्पताल, बारां में 1250 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 100 केवीए डीजी सेट की संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	राजस्थान	बारां	1.57	नहीं	बारां मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी	सीएसआर00005624
32	सिविल अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र), डलहौजी में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र (400 से 600 एलपीएम) और 62.5 केवीए के डीजी सेट की संस्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	चंबा	0.79	नहीं	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंबा, हिमाचल प्रदेश	सीएसआर00005997
33	झांसी, यूपी में 2 विद्युत सह गैस संचालित (हाइब्रिड) श्मशान की स्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	झांसी	3.53	नहीं	नगर निगम, झांसी	सीएसआर00012233
34	जिला अस्पताल, मोन जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा उन्नयन	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	नागालैंड	मोन	0.41	नहीं	उपायुक्त मोन	सीएसआर00006825
35	सरकारी चरक अस्पताल, उज्जैन, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन वेंटिलेटर, एएलएस एम्बुलेंस और आईसीयू रोगियों के बिस्तरों की स्थापना, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, उज्जैन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	उज्जैन	0.86	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	सीएसआर00008070
36	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा क्रियान्वन किए जाने वाले अलवर, राजस्थान के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	राजस्थान	अलवर	1.23	नहीं	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी	सीएसआर00008981
37	जिला अस्पताल, चाईबासा, झारखंड में बाल चिकित्सा और नवजात वर्ग के लिए 10 बिस्तरों वाले आईसीयू की स्थापना, 20 बिस्तरों की सेवा के लिए चिकित्सा उपकरण, जिला सीएसआर फंड चाईबासा, झारखंड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	झारखंड	चाईबासा	0.31	नहीं	जिला सीएसआर फंड चाईबासा, झारखंड	सीएसआर00006981
38	नया जिला अस्पताल, यादगिरी, कर्नाटक में 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद, संस्थापना और चालू कराना, आरोग्य रक्षा समिति जिला अस्पताल (एआरएसडीएच), यादगीर द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	कर्नाटक	चित्तपुर	1.75	नहीं	आरोग्य रक्षा समिति जिला अस्पताल, यादगिर, कर्नाटक	सीएसआर00012195
39	सशक्त समुदायों के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर की जांच में सुधार	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	0.28	नहीं	प्रोग्रेसिव फाउंडेशन	सीएसआर00013216
40	5 राज्यों में आरईसी द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के तहत 2014–15 के दौरान निर्मित 12347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत।	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश	1.73	नहीं	भारत सेवाश्रम संघ	सीएसआर00000812
41	श्रावस्ती जिले में 275 हैंडपंप की संस्थापना	सुरक्षित पेयजल	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	(0.14)	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती	लागू नहीं
42	कुंभ मेला स्थल पर और भारत में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना के लिए सहयोग	सुरक्षित पेयजल	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	0.19	नहीं	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान	लागू नहीं
43	बिहार के पूर्णिया जिले के 200 आंगनबाडी केंद्र/प्राथमिक विद्यालय में 500 लीटर ओवरहेड स्टोरेज टैंक के साथ 200 रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 1 एचपी विद्युत पंप की संस्थापना	सुरक्षित पेयजल	लागू नहीं	बिहार	पूर्णिया	0.30	नहीं	सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेजर्स एम्पावरमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑल	सीएसआर00022145

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
44	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत झुग्गी–झोपड़ी पीने के पानी, स्वच्छता, शौचालय, आईईसी अभियान आदि की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी को अपनाना	स्वच्छता	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	0.51	हाँ	आरईसी	सीएसआर00005016
45	24 सरकारी स्कूलों में कंपाउंड दीवारों का निर्माण व गेट उपलब्ध कराना	शिक्षा	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	0.92	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, महबूबनगर	लागू नहीं
46	प्रोजेक्टर, पानी की सुविधा, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, स्कूलों और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग, विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुधार आदि प्रदान करके स्कूली शिक्षा में बदलाव	शिक्षा	लागू नहीं	मणिपुर	चंदेल	0.60	नहीं	उपायुक्त, चंदेल	लागू नहीं
47	सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभागार का निर्माण कर अधोसंरचना विकास,	शिक्षा	लागू नहीं	केरल	कन्नूर	1.08	नहीं	जिला पंचायत, कन्नूर	लागू नहीं
48	सरकारी स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर प्रदान करना और एचएससी (हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट) में आने वाले छात्रों के लिए सुपर 30 शुरू करना	शिक्षा	लागू नहीं	ओडिशा	गजपति	0.63	नहीं	जिला कलेक्टर, गजपति	लागू नहीं
49	सरकारी स्कूलों में उपकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, महिला साक्षरता बढ़ाना, पेयजल उपलब्ध कराना इत्यादि करके स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना	शिक्षा	लागू नहीं	मिजोरम	ममित	0.23	नहीं	उपायुक्त, ममित	लागू नहीं
50	संदलपुर गांव में आदिवासी बच्चों के लिए लड़कों के छात्रावास (द्वितीय तल) का निर्माण और बरकालिकापुर गांव में परिवार बंगाल आवासीय संस्थान में 150 आवासीय लड़कियों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल	देवास, 24 परगना	0.10	नहीं	परिवार एजुकेशन सोसायटी	सीएसआर00000052
51	विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र मे (तृतीय तल), गेट और खेल के मैदान के साथ चारदीवारी की संस्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	0.39	नहीं	चेतना, हिमाचल प्रदेश	लागू नहीं
52	15 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, 1 सरकारी उच्च विद्यालय और 1 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करके, कक्षाओं की मरम्मत, नवीनीकरण करके स्कूली शिक्षा को बदलना; किचन, बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिकल वायरिंग/इंटरनेट प्रदान करना, वाटर कूलर, अलमीरा, कटलरी की खरीद, क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में बदलना, खेलने के उपकरण, स्कूल लाइब्रेरी, विज्ञान/गणित प्रयोगशाला, आदि प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	0.76	नहीं	उपायुक्त, कांगड़ा	लागू नहीं
53	प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए 10,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	अम्बाला, झज्जर, जींद, कैथल व यमुनानगर	0.71	नहीं	हरियाणा सीएसआर सलाहकार मण्डल	लागू नहीं
54	हरियाणा के गुरुग्राम में विभिन्न मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के 462 वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक इनोवेटिव मोबाइल स्कूल	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	गुरुग्राम	0.11	नहीं	ऑल इंडिया सिटीजन्स अलॉयन्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट	सीएसआर00002627
55	गजपति, ओडिशा के 32 सरकारी स्कूलों में 53 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	ओडिशा	गजपति	1.33	नहीं	जिला कलेक्टर, गजपति	लागू नहीं

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
56	मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 150 आदिवासी लड़कियों के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण के लिए सहायता और लगभग 1541 बच्चों वाले 11 सेवा कुटीर को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	खंडवा	1.61	नहीं	परिवार एजुकेशन सोसायटी	सीएसआर00000052
57	मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भवन निर्माण हेतु सहायता।	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा	गुरुग्राम	0.44	नहीं	आरके मिशन	लागू नहीं
58	गुरुग्राम, हरियाणा और हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण मजदूरों के 462 बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए इनोवेटिव मोबाइल स्कूल का संचालन	शिक्षा	लागू नहीं	हरियाणा और उत्तर प्रदेश	गुरुग्राम, हरदोई	0.26	नहीं	ऑल इंडिया सिटीजन्स अलॉयन्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट	सीएसआर00002627
59	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए फर्नीचर, फिक्स्चर, लैंडस्केपिंग, बाहरी प्रकाश व्यवस्था और एप्रोच रोड के साथ 2 छात्रावास टावर (जी+9) का निर्माण और स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (आईआईटी, कानपुर पर एसएमआरटी) के तहत ग्रिड से जुड़े 100केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पीवी पैनल की संस्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	कानपुर	0.20	नहीं	आईआईटी, कानपुर	सीएसआर00004774
60	केलवाड़ा (कुंभलगढ़) ग्राम, राजसमंद जिला, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति/समाज के असुरक्षित/कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	राजस्थान	राजसमंद	0.23	नहीं	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद	सीएसआर00008067
61	विशेष रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 700 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय)	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	0.36	नहीं	समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड	लागू नहीं
62	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	2.52	नहीं	महर्षि शिक्षण प्रसारक मण्डल	लागू नहीं
63	ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/महिला आदि से संबंधित 1200 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) कार्यक्रम।	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	1.14	नहीं	सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस	लागू नहीं
64	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस/वंचितों से संबंधित 1100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	0.55	नहीं	परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र	सीएसआर00000938
65	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	0.15	नहीं	मैट्रिक्स सोसायटी फॉर सोशल सर्विस	सीएसआर00000323
66	महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और उपकरण किट का वितरण	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	0.62	नहीं	राजुरेश्वर गणेश बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था	लागू नहीं
67	विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस के 2500 लोगों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	1.14	नहीं	भारतीय उद्योग परिसंघ	लागू नहीं
68	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	कौशल विकास प्रशिक्षण	लागू नहीं	मध्य प्रदेश	छतरपुर	0.09	नहीं	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट	सीएसआर00003571
69	सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले किसानों को बीज (रबी सीजन) का मुफ्त वितरण	आजीविका वृद्धि	लागू नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	3.52	नहीं	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ	सीएसआर00017175

1	2	3	4	5क	5ख	6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थल	परियोजना का स्थल	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से-कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
70	आईआईएम, तिरुचिरापल्ली के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली	0.03	नहीं	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	लागू नहीं
71	संबलपुर विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर 0.25 मेगावाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइट की संस्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	ओडिशा	संबलपुर	0.41	नहीं	संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा	लागू नहीं
72	हरियाणा के पैंतालीस गांवों में राष्ट्रपति भवन की स्मार्टग्राम पहल के लिए स्थायी ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	हरियाणा	हरियाणा के चालीस गांवों का चयन	0.17	नहीं	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स	लागू नहीं
73	आंध्र प्रदेश के जैव संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	0.04	नहीं	आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	लागू नहीं
74	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 1 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	तमिलनाडु	मदुरै	2.55	नहीं	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	लागू नहीं
75	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 2 मेगावाट की एसपीवी प्रणाली की संस्थापना	पर्यावरणीय संधारणीयता	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	1.33	नहीं	आंध्र प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	लागू नहीं
76	वृद्धों की देखभाल के लिए आरोग्य सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण एवं संचालन	वृद्ध	लागू नहीं	लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	लेह	0.84	नहीं	हेल्पऐज इंडिया	लागू नहीं
77	वृद्धों की देखभाल के लिए आरोग्य सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह का निर्माण एवं संचालन।	वृद्ध	लागू नहीं	लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	लेह	0.65	नहीं	हेल्पऐज इंडिया	लागू नहीं
78	ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	महबूबनगर और अनंतपुर	6.29	नहीं	इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी–एरिड ट्रॉपिक्स	लागू नहीं
79	समुदायों के आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, भोजन और ऊर्जा के अंतिम उपयोग के लिए सामुदायिक विकास जागरूकता कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	मेघालय और नागालैंड	मेघालय और नागालैंड	0.90	नहीं	नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रोबायोडायवर्सिटी सोसाइटी	लागू नहीं
80	मणिपुर के उखरूल जिले के सोमदल गांव में बहुद्देशीय हॉल सह इंडोर स्टेडियम का निर्माण	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	मणिपुर	उखरुल	0.41	नहीं	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी	लागू नहीं
81	ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक भवन, पीसीसी रोड, नाली, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइटों, आरओ प्लांट आदि की संस्थापना	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	बिहार	भोजपुर	0.29	नहीं	एनएचपीसी लिमिटेड	लागू नहीं
82	खेल का व्यापक आधार और भारत में खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना	खेल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	15.00	नहीं	राष्ट्रीय खेल विकास कोष, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार	सीएसआर00016457
83	उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के पुनर्निर्माण और बहाली के लिए ₹5.00 करोड़ की सीएसआर सहायता	सहायता और पुनर्वास	लागू नहीं	उत्तराखंड	उत्तराखंड	5.00	नहीं	उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	सीएसआर00017007
84	पीएम केयर्स फंड में योगदान	पीएम केयर्स	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में	50.00	नहीं	भारत सरकार	लागू नहीं
	कुल संवितरण					**162.15**			
85	प्रशासनिक उपरिव्यय					5.24			
86	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि					0.23			
87	पिछले वर्ष का अधिक व्यय					3.45			
	वर्ष 2021-22 के दौरान खर्च किया गया कुल सीएसआर					**171.07**			